

**The Deputy Minister of Railways
(Shri Shahnawas Khan):**

Dispensaries	Average daily attendance	Number of Assistant Surgeons
1. Ferozepore	359.39	4
2. Ludhiana	168.12	2
3. Jullundur Cant.	143.63	1
4. Jullundur City,	180.14	3
5. Amritsar	191.74	2
6. Amritsar Workshop	254.93	3
7. Pathankot	109.71	2
8. Baijnath Paprola.	32.85	1

Note: Some of these doctors have a line jurisdiction and the number of cases seen on the line are included under (a).

Claims for Properties Lost in Transit

2455. **Sardar Iqbal Singh:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number and value of claims for properties lost in transit put forth in Ferozepore Division during 1955-56 and 1957-58;

(b) for what amount claims have been accepted.

(c) to what extent claims have been met;

(d) the amount of outstanding claims; and

(e) what agencies have been responsible mostly for loss of such properties?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Demographic Studies

2456. **Shri B. C. Mullick:** Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four research centres have been opened for demographic studies;

(b) whether there is any proposal to open more centres for demographic studies in the country during the remaining period of the Second Five-Year Plan; and

(c) if so, their number and the States where they are to be started?

The Minister of Health (Shri Kar-markar): (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

गुना-उज्जैन लाइन

२४५७. **श्री लीलावर जोशी :** क्या रेलवे:

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुना-उज्जैन लाइन का, जो अभी स्वीकृत हुई है, मार्ग क्या होगा ;

(ख) कौन-कौन से ग्रन्थ वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) इस मार्ग पर कौन-कौन से बड़े ग्राम तथा नगर स्थित हैं ; और

(घ) इस लाइन पर काम कब आरम्भ होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सै० जे० रामस्वामी):

(क) और (ख) प्रस्तावित गुना-उज्जैन रेलवे लाइन के लिए नीचे दिये गये रास्तों का सर्वे किया गया ;

१. गुना-बियावर-भागरा-उज्जैन

२. गुना-बियावर-शाहजापुर-भक्ती

३. गुना-बियावर-भागरा-नागवा

इन तीन रास्तों में से गुना-बियावर-भागरा-उज्जैन रास्ते को प्रस्तावी रूप से सब से अधिक उपयुक्त समझा गया है ।

(ग) जब तक लाइन का अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे (Final location survey) पूरा न हो जाय, तब तक अन्तिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस लाइन पर कौन से गांव और कस्बे पड़ेंगे।

(घ) इस लाइन पर काम अगले वित्त-वर्ष १९५६-६० में शुरू होगा और काम इस ढंग पर किया जायेगा ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर जो खर्च हो, वह अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे, जमीन के अधिग्रहण (acquisition) और लाइन के कुछ हिस्से पर मिट्टी डालने और पुलों के पाये प्रादि बनाने तक सीमित रहे। इस समय लाइन के अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे पर खर्च के अनुमान की जाच रेलवे बोर्ड में की जा रही है।

Free Passes for Railway Staff

2458. Shri Warior: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether free passes are issued to retired Railway Officers;

(b) if so, the total annual amount of the free passes from 1954-55 to 1958-59; and

(c) the expenditure incurred during the above period annually to provide free conveyance to the staff, their families and household effects on (i) transfer (ii) retirement; and (iii) homegoing on periodical leave?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) and (c). Information is not readily available. Railways do not maintain an account of the cost of passes issued whether on privilege account or on transfer or retirement. Eleven lakhs railway employees are due passes which are available to various destinations and include families. The labour involved will be considerable and even than the total

cost cannot be worked out to any reasonable degree of accuracy as—

- (1) all the persons included on the pass may not have travelled;
- (2) the journey may have been terminated short of destination, shown on the pass;
- (3) on many occasions the journeys may not have even been performed.

कर्मचारियों की पदोन्नति

२४५९. { श्री प्र० ना० सिंह :
श्री अर्जुन सिंह अवौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसूचितवीय पदालि के कर्मचारियों को गैर-अनुसूचितवीय पदालि में पदोन्नति देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):

(क) और (ख). जो मिनिस्टीरियल रेल कर्मचारी १-४-१९३८ के पहले से नौकरी कर रहा है, यदि वह कार्यकुशल बना रहे और डाकटरी परीक्षा में पास होता रहे, तो साधारणतः वह ६० साल की उमर तक नौकरी में रखा जा सकता है। इस तरह का मिनिस्टीरियल रेल-कर्मचारी तरक्की के सामान्य मार्ग में जब नान-मिनिस्टीरियल पद (जिसके रिटायर होने की उमर ५५ साल है) पर तरक्की पाने का हकदार होता है, तो उसे उसी सूत्र में तरक्की दी जाती है जब वह इस बात की लिखित रजामन्दी दे दे कि ५५ साल की उमर पूरी कर लेने के बाद नौकरी में बने रहने के लिए उसे अपने मिनिस्टीरियल पद पर वापस नहीं जाने दिया जायेगा।

इसके अलावा कोई दूसरा प्रतिबन्ध नहीं है।